समयबद्व/महत्वपूर्ण

संख्या-5/2018/248/29-5-2018-5(7)/2002

प्रेषक,

शशि भूषण लाल सुशील ,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 12 अप्रैल, 2018

विषय:-रबी क्रय योजना वर्ष 2018-19 में केन्द्रीयकृत क्रय प्रणाली के अन्तर्गत रबी खाद्यान्नो के क्रय मूल्य के भुगतान हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रारम्भ रबी क्रय वर्ष 2018-19 में गेहूॅ खरीद की व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-02/ 2018/206/29-5-2018-5(1)/2018 दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके है। किसानों से खरीदे गये गेहूॅ के मूल्य का भुगतान सीधे कृषकों को करने के लिये तथा अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं का समयबद्व रूप से संचालन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अधिकारों के प्रतिनिधायन की स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- रबी क्रय योजना वर्ष 2018-19 में गेहूॅ क्रय के लिए खोले गये क्रय केन्द्रों को सार्वजनिक क्षेत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक की सी0बी0एस0 शाखा से सम्बद्ध करके उक्त बैंक में बचत खाता (फीडर एकाउण्ट) खोलने हेतु वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारी/सहायक संभागीय लेखाधिकारी को अधिकृत किया जाता है। कृषकों को उनकी उपज के विक्रय मूल्य का तुरन्त भुगतान केन्द्र स्तर से कृषक का खाता बैंक की सी0बी0एस0 शाखा में होने पर आर0टी0जी0एस0 द्वारा तथा यदि सी0बी0एस0 शाखा में खाता नहीं है तो 'पेइज़ एकाउण्ट ओनली' चेक द्वारा भुगतान किये जाने हेतु क्रय केन्द्रों पर तैनात केन्द्र प्रभारी को प्राधिकृत किया जाता है। 'पेइज़ एकाउण्ट ओनली' चेक केवल उन्ही प्रकरणों में अनुमन्य होगा जहॅा आर0टी0जी0एस0 की व्यवस्था नही है। जिन कृषकों का बैंक खाता सी0बी0एस0 शाखा में नहीं है, केन्द्र प्रभारी द्वारा उन कृषकों को भुगतान किए जाने से पूर्व उनका बैंक खाता सी0बी0एस0 शाखा में ही खुलवानें का प्रयास किया जायेगा अथवा चेक के माध्यम से भुगतान किये जाने की स्थिति में क्रय एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा बैंक से सत्यापन किया जायेगा कि कृषक का खाता जिस बैंक में है, उसमें सी0बी0एस0 की सुविधा उपलब्ध नही है।

2- वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारी/सहायक संभागीय लेखाधिकारियों को अनुदान सं0--21 के "लेखाशीर्षक--4408--खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101 -अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति " से निर्धारित सीमा तक अग्रिम आहरित करने तथा बैंकों में खोले गये बचत खातों में जमा करने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ अधिकृत

http://shasanadesh.up.nic.in

किया जाता है कि वे बैंकों में बचत खाते खोलने हेतु उतना ही न्यूनतम अग्रिम धन आहरित करेंगें, जितना 07 (सात) दिन की गेहूँ खरीद के लिए आवश्यक हो और मुख्यालय द्वारा आवंटित धनराशि से अधिक न हो। वे इस प्रकार आहरित अग्रिम के साथ-साथ बैंकों में अवशेष सम्पूर्ण धनराशि का, खरीद योजना की समाप्ति के तुरन्त बाद अग्रिम समायोजन कर लेगें।

3- यदि इस बचत खाते में किसी समय अधिक धन की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारी/सहायक संभागीय लेखाधिकारी स्वतः अथवा केन्द्र प्रभारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी के मांग/औचित्य को देखते हुए बचत खाते में विगत 07 ((सात) दिन के क्रय के समतुल्य से अनाधिक अतिरिक्त धन की व्यवस्था करेंगें, परन्तु केन्द्र प्रभारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी पिछली खरीददारी के सभी लेखे एवं पेड वाउचर के साथ अतिरिक्त मांग का औचित्य भी प्रस्तुत करेंगें।

4- वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारी/सहायक संभागीय लेखाधिकारी यदि अपने क्षेत्र के लिए मुख्यालय से आवंटित धनराशि को आवश्यकता से कम समझते है और खाद्यान्न के क्रय मूल्य के भुगतान की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने पर भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता अनुभव करते है तो ऐसी दशा में अग्रिम की अतिरिक्त धनराशि की वित्त नियंत्रक से मांग करेंगें, जिसके आवंटन की वह व्यवस्था करेगें। इसके अतिरिक्त यदि किसी समय यह अनुभव किया जाता है कि इन बचत खातों में उपलब्ध धनराशि आवश्यकता से अधिक है अथवा बचत खातों को चालू रखने की आवश्यकता नही है तो इन बचत खातों की अवशेष धनराशि कम करने अथवा इन्हें बन्द कर सम्पूर्ण धनराशि को "लेखाशीर्षक-4408- खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-01- खाद्य-101-- अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03अन्न पूर्ति योजना- 43 -सामग्री एवं सम्पूर्ति' ' में स्थानान्तरण करने हेतु वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारियों/सहायक संभागीय लेखाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। इस खाते में रखे गये धन के रख-रखाव तथा इसे नियमानुसार व्यय करने का पूर्ण दायित्व केन्द्र प्रभारी का होगा तथा पर्यवेक्षकीय दायित्व वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारी/सहायक संभागीय लेखाधिकारी तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी का होगा।

5- प्रत्येक खरीद में केन्द्र प्रभारी द्वारा अपनी अधिकार सीमा के अन्तर्गत इन बचत खातों में रखे गये धन का उपयोग निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार खाद्यान्न मूल्य के भुगतान हेतु निर्धारित की गयी व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

6- प्रत्येक क्रय केन्द्र के लिये "' स्टेट व्हीट परचेज एकाउण्ट 2018" के नाम से बैंकों में खोले गये बचत खातों को केन्द्र प्रभारी को एकल रूप से संचालित करने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ अधिकृत किया जाता है कि वे एक दिन में किसी एक कृषक को आर0टी0जी0एस0 (यदि कृषक का खाता बैंक की सी0बी0एस0 शाखा में है)/ ' पेइज़ एकाउण्ट ओनली ' चेक (यदि कृषक का खाता बैंक की सी0बी0एस0 शाखा में नही है) द्वारा केवल अंकन रूपये 5,00,000.00 (रू0 पॉच लाख मात्र) की सीमा तक ही भुगतान कर सकेंगे। उक्त सीमा से अधिक क्रय किये गये खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान संभागीय कार्यालय से किया जायेगा।

7- क्रय केन्द्रों से भुगतान किये गये बाउचरों की उत्तर सम्परीक्षा लेखा अनुभाग के क्षेत्रीय भुगतान कार्यालय द्वारा 48 घण्टे के भीतर कर ली जायेगी। गेहूँ के क्रय के दौरान संभागीय कार्यालय के लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी समय-समय पर अधीनस्थ कार्यालयों/केन्द्रों को

http://shasanadesh.up.nic.in

निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करेगें कि विभिन्न मदों में शासकीय नियमों/आदशों के अनुसार भुगतान हो रहा है और निर्धारित प्रारूप में लेखा-जोखा अद्यावधिक रखा जा रहा है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी 05 क्रय केन्द्र प्रतिदिन एवं संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी 04 क्रय केन्द्र प्रतिदिन निरीक्षण अवश्य करेगें और यह भी सुनिश्चित करते रहेंगें कि खरीद की मात्रा का स्टाक तथा उसकी क्वालिटी सही है, उसके रख-रखाव का समुचित प्रबन्ध है और स्टाक का सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को त्वरित " डिलीवरी " किया जा रहा है। केन्द्र प्रभारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम से डिलीवरी के उपरान्त तत्काल एक्नॉलेजमेण्ट प्राप्त किया जायेगा एवं तत्काल बिलिंग सुनिश्चित करायी जायेगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा उत्तरदायित्व के साथ निरन्तर अनुश्रवण इस प्रकार किया जायेगा कि संभागीय लेखा कार्यालयों को बिलों के प्रेषण में केन्द्र प्रभारियों द्वारा कोई विलम्ब न होने पाये।

8- केन्द्र प्रभारी द्वारा अंकन रू0 5,00,000.00 ((रू0 पॉच लाख मात्र) की " फाइडेलिटी गारण्टी' आहरण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करनी होगी। उक्त " फाइडेलिटी गारण्टी " जमा कराने का दायित्व जिला खाद्य विपणन अधिकारी का होगा।

9- हैण्डलिंग ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल भुगतान वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारियों/सहायक संभागीय लेखाधिकारियों द्वारा किया जाएगा, किन्तु ऐसा करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि हैण्डलिंग ठेकेदारों ने नियमानुसार एग्रीमेण्ट फार्म भर दिया है और जमानत की धनराशि उनसे जमा करा ली गयी है।

10- कृषकों को रू0 5,00,000.00 ((रू0 पॉच लाख मात्र) से अधिक खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान तथा परिवहन ठेकेदारों को उनके कार्य का पूरा भुगतान वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारियों/सहायक संभागीय लेखाधिकारियों द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जाएगा।

11- प्रस्तर-5 व 6 में उल्लिखित व्यवस्था/प्रदत्त अधिकार सशर्त है। अतएव उक्त शर्त/प्रतिबन्ध का अनुपालन करने के उपरान्त ही इस अधिकार का उपयोग किया जायेगा। इस अधिकार/ व्यवस्था के दुरूपयोग की स्थिति में दोषी अधिकारी/केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

12- रबी क्रय योजना में भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ के मूल्य की धनराशि का आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान प्राप्त किये जाने के लिए संभागीय लेखा कार्यालय स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक की सी0बी0एस0 शाखा में एक बचत खाता खोला जायेगा तथा उक्त खाते में जमा धनराशि को अतिशीघ्र " लेखाशीर्षक-4408--खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101 -अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03- अन्न पूर्ति योजना-43सामग्री एवं सम्पूर्ति " में तत्काल जमा कर दिया जायेगा।

13- गेहूँ खरीद योजना हेतु वित्तीय प्रबन्ध में खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर खरीद वर्ष 2018-19 के लिए योजना का प्रचार-प्रसार, क्रय कार्य हेतु कर्मियों का तकनीक प्रशिक्षण, टेलीफोन/मोबाइल/स्टेशनरी/कम्प्यूटर/लैपटाप /आईपैड/इण्टरनेट/इलेक्ट्रानिक काटा/ नमी मापक यंत्र/ इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन/सोलर पैनल खाद्यान्न के विश्लेषण हेतु विश्लेषण

http://shasanadesh.up.nic.in

किट आदि पर व्यय, गेहूँ क्रय आदि के निमित्त किराये पर वाहन लेने तथा पी0ओ0एल0 की व्यवस्था, अस्थायी मानव संसाधन की व्यवस्था, हैण्डलिंग/परिवहन व्ययों के भुगतान, बोरों की आपूर्ति, वर्षा आदि से खाद्यान्नों के बचाव तथा रख-रखाव के लिये त्रिपाल, क्रेट्स, पालिथीन कवर तथा अन्य आवश्यक सामग्री क्रय किया जाना, गेहूँ क्रय की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु काल सेन्टर खाद्यायुक्त कार्यालय एन0आई0सी0 हेतु पी0एम0यू0 (प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट) आदि मदों में व्यय, स्टाफ की कमी, खाद्यान्न क्रय में कार्य की अधिकता, अवकाश के दिनों में भी खरीद, कृषक पंजीकरण, ई-उपार्जन, पंजीकृत समितियों, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटीज व एफ0पी0ओ0एफ0पी0सी0 के माध्यम से खरीद के दृष्टिगत खाद्य विभाग में स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कमी की स्थिति में सेवाप्रदाता के माध्यम से क्रमशः कम्प्यूटर आपरेटर व चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की पूर्ति नियमानुसार सक्षम स्तर से की जा सकेगी, चूँकि केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का उठान व खाद्यान्न क्रय में सम्प्रदान बिलिंग व भुगतान का कार्य पूरे वित्तीय वर्ष होता रहेगा अतएव उक्त मदों में व्यय पूरे वित्तीय वर्ष अनुमन्य होगा। गेहूँ के मूल्य का भुगतान करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था खरीदारी के हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य विभाग एवं खाद्य आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जायेगी। यदि ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है, जो नीति विषयक होगा या जिसमें अनुमोदित नीति से विचलन निहित होगा तो आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

14- उपरोक्तानुसार भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं0--21 के आय-व्ययक के "लेखाशीर्षक-4408--खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101 -अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43 सामग्री एवं सम्पूर्ति " के नामे डाला जायेगा

15- बचत खाते में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा कराना होगा।

16- गेहूँ खरीद की समाप्ति के उपरान्त अधिकतम 03 माह में प्रत्येक गेहूँ क्रय केन्द्र का आडिट पूर्ण किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या एफ0ए0-1-82/दस- 2018 दिनांक 09-04-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(शशि भूषण लाल सुशील)
सचिव,

<u>संख्या-5/2018/248(1)/29-5-2018 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

5- वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

6- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

7- समस्त लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0।

8- समस्त वरिष्ठ/ क्षेत्रीय लेखाधिकारी/ सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0।

9- समस्त संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, उ0प्र0।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 वित्त (लेखा) अनुभाग-1

11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

12- गार्ड फाईल/एन0आई0सी0

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in